रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052020-219277
CG-DL-E-04052020-219277

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2020/वैशाख 14, 1942
No. 165] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2020/VAISAKHA 14, 1942

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2020

फा. सं. 1-सीए(7)/193/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् बनाने का प्रस्ताव करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें इन प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालिस दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा उस पर विचार किए जाने के लिए उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को संबोधित करते हुए अग्रेषित कर सकेगा ;

किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, उक्त विनियमों के विनियम 25ङ के उपविनियम (1) में,--

(क) "उच्चतर माध्यमिक (10+2) की परीक्षा में बैठा है" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त विनियमों के विनियम 25च के उपविनियम (1) में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) क्रमश: मई/जून या नवंबर/दिसंबर मासों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए 1 जनवरी या 1 जुलाई को या उससे पूर्व संस्थान के अध्ययन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत है ; और उसने ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाएं ; और"

(ii) खंड (ख) में, "परीक्षा उत्तीर्ण की है" शब्दों के स्थान पर, "परीक्षा में बैठा है" शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त विनियमों के विनियम 28च में,--

(i) उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अधीन फाउंडेशन परीक्षा और भारत में विधि द्वारा गठित किसी परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित की जाने वाली उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा या केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु उसके समतुल्य के रूप में मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और साथ ही ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न कर दिया हो, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएं ।"

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./21/2020-21]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए थे :--

(i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्तूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित

(ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित

(iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित

(iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित

(v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित

(vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित

(vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित

(viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित

(ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित

(x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित

(xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित

(xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित

(xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित

(xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित

(xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64ए/2003 द्वारा प्रकाशित

(xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित

(xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित

(xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित

(xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित

(xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित

(xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित

(xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित

(xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित

(xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित

(xxv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 मई, 2017 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/178/2016 द्वारा प्रकाशित

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2020

F. No.1-CA(7)/193/2020.—The following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified, addressed to the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi– 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988 (hereinafter referred to as the said regulations),in sub-regulation (1) of regulation 25E of the said regulations,-

(a) for the words and figures, "appeared in the Senior Secondary (10+2)", the words and figures, "passed the Class 10^{th}" shall be substituted;

(b) the words, "for the purpose of admission to graduation course" shall be omitted.

3. In sub-regulation (1) of regulation 25F of the said regulations,-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) is registered with the Board of Studies of the Institute on or before 1st day of January or 1st day of July for the examination to be held in the months of May/June or November/December respectively; and has complied with such other requirements as may be decided by the Council from time to time.; and"

(ii) in clause (b), for the word, "passed", the words, "appeared in" shall be substituted.

4. In regulation 28F of the said regulations,-

(i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) No candidate shall be registered for the Intermediate Course unless he has passed the Foundation Examination under these regulations and Senior Secondary (10+2) examination conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto for the purpose of admission to graduation course and has complied with such other requirements as may be decided by the Council from time to time."

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./21/2020]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

(i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India, dated 7th October, 1989

(ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991

(iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991

(iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India, dated 23rd February, 1991

(v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India, dated 2nd February, 1991

(vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992.

(vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1st September, 1995

(viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996

(ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997

(x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000

(xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000

(xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001

(xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001

(xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003

(xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003

(xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005

(xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated 17th June, 2006

(xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, dated 13th September, 2006

(xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, dated 17th August, 2007

(xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, dated 25th September, 2008

(xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008 published in the Gazette of India, dated 3rd December, 2008

(xxii) Notification No.1-CA(7)/145/2012 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st August, 2012

(xxiii) Notification No.1-CA(7)/154/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 22nd July, 2014

(xxiv) Notification No.1-CA(7)/167/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23rd January, 2015.

(xxv) Notification No.1-CA(7)/178/2016 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 25th May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.04 18:48:45 +05'30'